राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री चेतन देवड़ा आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 4/2018 दायर दिनांकः–05.09.2018

फैसला दिनांकः–07.06.2019

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर (राज0)

अपीलान्ट.......

बनाम

श्री रूपलाल पिता श्री हाजा, निवासी दरियाफला चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा व जिला डूंगरपुर (राज0)

रेस्पोडेन्ट.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर की ओर से विरूद्ध विपक्षी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी द्वारा अपने कच्चे मकान के दो कमरों में कुल 2000 लीटर डीजल व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैद्य रूप से भण्डारण किये जाने से जप्तशुदा डीजल को राजसात करने हेतु धारा–6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर तथा थाना प्रभारी पुलिस थाना बिछीवाडा से दूरभाष पर वार्ता एवं निर्देश अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक डूंगरपुर द्वारा आरा पुलिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर तुलसी हॉटल बिछीवाडा के पिछे विपक्षी श्री रूपलाल पुत्र श्री हांजा निवासी दरियाफला चुण्डावाडा के कच्चे मकान सीमेन्टेड टिनशेड़ दो मकानों में अवैद्य रूप से भण्डारित डीजल को रखे जाने पर बिछीवाडा पुलिस द्वारा कच्चे सीमेन्टेड मकानों को सील चस्पा किया गया हैं। उक्त सूचना पर दिनांक 05.05.2018 को प्रार्थी श्री जोगेन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक व श्री लालशंकर डामोर प्रर्वतन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर मौके पर पहूंचे। मौके पर पुलिस कार्मिकों द्वारा उक्त दोनों मकानों पर लगे ताले खुलवाये गये। उक्त मकान के कमरा नंबर 1 में कुल 5 लोहे के ड्रमों में 3 ड्रम में 200 लीटर प्रत्येक एवं अन्य 2 ड्रमों में 100–100 लीटर इस प्रकार कुल 800 लीटर डीजल सदृश्य पदार्थ मौके पर पाया गया। इसी प्रकार कमरा नंबर 2 में 2 ड्रम प्लास्टिक के बिना ढक्कन के 200–200 लीटर डीजल कुल 400 लीटर पाया गया। इसके अतिरिक्त लोहे के 4 ड्रमों में प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर के हिसाब से कुल 800 लीटर डीजल सदृश्य पदार्थ रखा हुआ पाया गया। कमरा नंबर 2 में कुल मात्रा 400+800 लीटर तथा कमरा नंबर 1 की कुल मात्रा 800 लीटर डीजल रखा हुआ पाया गया हैं। इस प्रकार 1 व 2 में

कलक्टर

Scanned by CamScanner

कुल 2000 लीटर डीजल रखा हुआ पाया गया। विपक्षी को उक्त अवैद्य भण्डारित कुल 2000 लीटर डीजल रखने के बारे में पुछा जाने पर 500–500 लीटर पेट्रोल पम्प से खरीदा जाना बताया, किन्तु इसके संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र उपलब्ध नहीं होना बताया। विपक्षी द्वारा अवैध रूप से डीजल खरीद एवं विक्री किये जाने के सम्भावना से भण्डारित करना पाया गया। उक्त डीजल बिना किसी सुरक्षा उपायों से भण्डारित करने से कभी भी दुर्घटना कारित होकर जान–माल की क्षति होना सम्भावित हैं। इस प्रकार बीना किसी वैद्य दस्तावेजों के अभाव में अवैद्य रूप से भण्डारित कर डीजल की बिक्री करने का कृत्य मोटरस्प्रिट एवं हाई स्पीड डीजल आदेश 2005 की शर्तो का उल्लंघन किये जाने से 2000 लीटर डीजल मय ड्रम एवं अन्य उपकरण 1 लोहे की किप, 2 प्लास्टिक किप, 1 रबर पाईप, 5 खाली 20 लीटर के छोटे केन आदि जप्त सरकार कर मैसर्स कावडिया पेट्रोल पम्प बिछीवाडा राष्ट्रीय राजमार्ग–8 आमझरा को सुपूर्द मय ड्रम किये गये। प्रार्थी ने उक्त 2000 लीटर जप्तशुदा डीजल एवं तत्संबंधी सामग्री को राजसात करने हेतु अनुरोध किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में विभागीय पैराकार (प्रवर्तन निरीक्षक) एवं विद्वान अभिभाषक विपक्षी की बहस समायत की गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विद्वान अभिभाषक ने जबाब के तथ्यों की पुनरावृत्ति की गई।

विभागीय पैरोकार (प्रवर्तन निरीक्षक) ने कथन किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित आरा पुलिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 तुलसी हॉटल (बिछीवाडा) के पिछे विपक्षी द्वारा मकान सीमेन्टेड टिनशेड़ के दो कमरों में 800 एवं 1200 लीटर कुल 2000 लीटर डीजल अवैद्य रूप से भण्डारित किया गया। उक्त अवैद्य भण्डारित डीजल के संबंध में विपक्षी का पुछा जाने पर उनके द्वारा 1000 लीटर पेट्रोल पम्प से खरीदा जाना बताया, किन्तु उक्त खरीदे गये डीजल के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त भण्डारित 2000 लीटर डिजल बिक्री करने की सम्भावना प्रतीत होने से अवैद्य रूप से भण्डारित किया गया। बिना किसी वैद्य दस्तावेज अथवा अनुज्ञापन के अवैद्य रूप से 2000 लीटर डीजल बिना सुरक्षा उपायों के भण्डारित करने से कभी भी दुर्घटना कारित होकर भारी जान–माल की क्षति होने की सम्भावना बनी रहती हैं। विभागीय पेरोकार ने कथन किया कि बिना किसी वैद्य दस्तावेजों के अवैद्य रूप से भण्डारित कर विक्री करने इत्यादि के विपक्षी के कृत्य मोटर स्प्रिट एवं हाई स्पीड डीजल आदेश 2005 की शर्तो का उल्लंघन किया गया हैं। उक्त तथ्यों के आलोक में जप्तशुदा 2000 लीटर डीजल व तत्संबंधी सामग्री आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत राजसात करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अभिभाषक विपक्षी ने बहस में तथ्य प्रकट किये कि विपक्षी का मूल धन्धा कृषि का हैं। उसके संयुक्त खाते में 27 खेत होकर रकबा 43–19 बीघा भूमि ग्राम चुण्डावाडा दरियाफला में स्थित हैं। उक्त खेतों की आराजी नंबर 2508 में कुआ स्थित हैं। उक्त कुआ पर तीन डीजल की मोटर खेतों में फसल की सिंचाई हेतु लगा रखी हैं। इसके अतिरिक्त विपक्षी के पुत्र के नाम से ट्रेक्टर आर.जे. 12 आर.ए. 7354 भी हैं, जिसका उपयोग विपक्षी द्वारा कृषि कार्य में करता हैं। वर्तमान में उक्त खेतों में रजगा एवं बाजरी की फसल की गई हैं। गर्मी का मौसम होने से उक्त तीनों मोटरों से फसल की सिंचाई की जाती हैं, ताकि फसल सूखे नहीं। विपक्षी द्वारा अपने खेतों में की गई फसल की सिंचाई एवं ट्रेक्टर हेतु बी.पी. बिछीवाडा कम्पनी संचालित पेट्रोल पम्प के बिल नं. 971 दिनांक 05.05.2018 व बील नं. 970 दिनांक 05.05.2018 द्वारा 1000–1000 लीटर डीजल क्रय कर उनके पुत्र के स्वामित्व वाले ट्रोली में रखकर गांव के खेतों पर ला रहा था, लेकिन अचानक ट्रेक्टर में खराबी आने से उक्त डिजल विपक्षी के मकान पर उतार दिया गया। विद्वान अभिभाषक ने विपक्षी के संयुक्त खाते की नकल, ट्रेक्टर की आर.सी. व डीजल खरीदी के बिल के साथ खेतों में काश्त के फोटो प्रस्तुत किये हैं। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन का रख–रखाव, भण्डारण वितरण) आदेश 1999 व मोटर स्प्रीट एवं हाई स्पीड़ डीजल रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीबुशन एवं प्रिवेन्शन ऑफ सेल प्रेक्टीस आदेश 2005 के प्रावधान अन्तर्गत सी.आर.एल.आर.राज. पृष्ठ 506 श्री कमरजीत सिंह बनाम राजस्थान राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की नजीर पेश की हैं। तद्नुसार एक ही विषय पर राज्य अधिनियम के उपर केन्द्रीय अधिनियम अधिभावी होगा–2005 के कन्ट्रोल आदेश के अन्तर्गत प्रवर्तन निरीक्षक प्राधिकृत नहीं था तथा जप्ती कार्यवाही दूषित हुई, विभिन्न वाहनों से 1000 लीटर से अधिक डीजल की बरामदगी–निर्णित, कलक्टर द्वारा पारित आदेश जप्ती का आदेश तथा सेंशन न्यायाधीश द्वारा पुष्ट आदेश अवैद्य व अपास्त होने योग्य माना। **"आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955–धारा 6–ए–1250 लीटर डीजल व वाहन जीप जब्त करने का कलेक्टर ने आदेश दिया–अपीलीय न्यायालय ने अपील आंशिक स्वीकार की और जुर्माना न्यून किया–केन्द्रीय सरकार द्वारा दो कन्ट्रोल आदेश वर्ष 1999 व 2005 में जारी किये और तृतीय कन्ट्रोल आदेश राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990 में जारी किया–एक ही विषय पर राज्य अधिनियम के उपर केन्द्रीय अधिनियम अधिभावी होगा–2005 के कन्ट्रोल आदेश के अन्तर्गत प्रवर्तन निरीक्षक प्राधिकृत नहीं था तथा जब्ती कार्यवाही दूषित हुई–विभिन्न वाहनों से 1000 लीटर से अधिक डीजल की बरामदगी–निर्णीत, कलेक्टर द्वारा पारित जब्ती आदेश तथा सैशन न्यायाधीश द्वारा पुष्ट आदेश अवैध है व अपास्त होने योग्य है तथा डीजल का विकय राशि विकय की दिनांक से 6% वार्षिक ब्याज दर से प्रतिपूर्ति की जावे"**। इसी प्रकार सीआर.एल.आर.(राज0) मा0 उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या

Scanned by CamScanner

869/2016 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2017 के अनुसार केन्द्रीय सरकार कन्ट्रोल आर्डर अधिभावी होगा जो कि एक व्यक्ति को 2500 लीटर डीजल विक्रय करने की अनुमती देता हैं। "आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1953—धारा—6ए—जिला कलेक्टर ने वाहन, 2200 लीटर डीजल व 11 प्लास्टिक ड्रम राज्यसात् करने का आदेश दिया—सैशन न्यायाधीश द्वारा आदेश पुष्ट किया गया—अधिकतम 1000 लीटर डीजल के कब्जे पर प्रतिबन्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता—परिवहन के दौरान डीजल जब्त किया तथा वाहन में माल ले जाना भण्डारण नही माना जायेगा—केन्द्रीय सरकार कन्ट्रोल ऑर्डर अधिभावी होगा जो कि एक बार में एक व्यक्ति को 2500 लीटर डीजल विकय की अनुमति देता हैं—निर्णीत, आदेश अपास्त किया"।

विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्त 2000 लीटर डीजल के अवैद्य भण्डारण के संबंध में किसी प्रकार के तथ्यों की जांच नहीं की गई है तथा न ही नियमों की पालन किया हैं। पूर्ण तथ्यों की जानकारी किये बगैर विपक्षी का विधी संगत क्रय किया गया डीजल जप्त करने की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होकर नियमों के विरूद्ध हैं। विपक्षी उक्त 2000 लीटर डीजल खेती में सिंचाई व ट्रेक्टर के उपयोग हेतु क्रय किया हैं न की अवैद्य रूप से बिक्री करने। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारीज किया जाकर जप्तशुदा डीजल एवं तत्संबंधी सामग्री विपक्षी को लौटाई जाने का विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने अनुरोध किया ।

हमारे द्वारा विभागीय पैरोकार एवं विपक्षी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया।

पक्षकारों की बहस व पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आरा पुलिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 तुलसी हॉटल (बिछीवाडा) के पीछे विपक्षी के कच्चे सीमेन्टेड़ टिनशेड़ मकान में दो अलग—अलग कमरो से कुल 2000 लीटर डीजल अवैध सदृश्य पदार्थ मानकर भण्डारित करने से जप्त किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से तथा उनके विद्धान अभिभाषक द्वारा बहस में प्रकट किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार विपक्षी के संयुक्त खाते में 43.19 बीघा भूमि हैं तथा प्रस्तुत फोटोज के अनुसार मौके पर मोटर (डीजलपंप) लगाकर फसल सिंचाई की जा रही है। साथ ही विपक्षी के पुत्र श्री तुलसीराम का एक ट्रेक्टर भी हैं, जो कृषि कार्य के उपयोग लेना बताया हैं। उपलबध बिलो के आधार पर बी.पी. बिछीवाडा के पेट्रोल पम्प से दिनांक 05.05.2018 को दो अलग बिलो से 1000 लीटर डीजल खरीदा गया है एवं बहस के तर्को के अनुसार पेट्रोल पम्प बिछीवाडा से डीजल खरीद कर अपने गांव ले जा रहा था किन्तु ट्रेक्टर खराब होने से विवेचित स्थल पर 2000 लीटर डीजल उतार दिया गया। विपक्षी के उक्त तथ्यों/तर्को की ताईद उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात, नकल

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner

जमाबंदी, ट्रेक्टर आर.सी. व डीजल खरीद के बिल तथा ट्रेक्टर दुरस्ती के भुगतान बिल प्रस्तुत किये जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

प्रस्तुत प्रकरण में दो महत्वपूर्ण बिन्दु निर्णायक है। प्रथम एक व्यक्ति बिना अनुज्ञा पत्र के अधिकतम कितना डीजल स्वयं के उपयोग हेतु भण्डारण कर सकता है एवं द्वितीय क्या प्रवर्तन निरीक्षक यह कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा निर्णित प्रकरण करमजीत सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2016(1)सीआर.एल.आर.(राज)506 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अरविन्द स्वामी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय 2017(4) सीआर.एल.आर.(राज)1860 की प्रस्तुत नजीरों में यह स्पष्टतः निर्णित किया गया है कि एक ही विषय पर यदि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिनियम/ आदेश जारी है तो केन्द्रीय अधिनियम अधिभावी होगा। केन्दीय सरकार द्वारा दो कन्ट्रोल आदेश 1999 एवं 2005 में जारी किये एवं तृतीय कन्ट्रोल ऑर्डर राज्य सरकार ने 1990 में जारी किया है। केन्द्र सरकार के कन्ट्रोल ऑर्डर 2005 इसमें अधिभावी होगा जो एक बार में एक व्यक्ति को 2500 लीटर डीजल विक्रय की अनुमति देता है। साथ ही कन्ट्रोल ऑर्डर 2005 के अन्तर्गत प्रवर्तन निरीक्षक कार्यवाही हेतु अधिकृत नही है। हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा डीजल सदृश्य पदार्थ की मात्रा 2000 लीटर है एवं इसको जप्ती की कार्यवाही प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई है। अतः यह समस्त कार्यवाही दूषित है।

उक्त न्याय निर्णयों के दृष्टीगत मेरा यह विनम्र मत है कि केन्द्रीय सरकार का कन्ट्रोल ऑर्डर 2005 इसमें अधिभावी होगा जो एक साथ 2500 लीटर डीजल एक व्यक्ति को विक्रय की अनुमति देता है एवं प्रवर्तन निरीक्षक इस आदेश के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु सक्षम नही है। हस्तगत प्रकरण में जप्त सामग्री की मात्रा 2000 लीटर है एवं कार्यवाही प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई है। अतः इस सम्पूर्ण कार्यवाही को कानून सम्मत नही माना जा सकता। लिहाजा जप्तशुदा 2500 लीटर डीजल लौटाया जाना न्याय संगत होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम खारीज किया जाता है एवं जप्तशुदा 2000 लीटर डीजल मय ड्रम, एक लोहे की कीप, 2 प्लास्टीक कीप, 1 रबर पाईप, 5 खाली 20 लीटर के छोटे केन आदि अप्रार्थी को लौटाने के आदेश पारित किये जाते है। प्रवर्तन निरीक्षक नियमानुसार कार्यवाही कर जप्तशुदा सामग्री विपक्षी को वापस लौटाया जावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को पालना हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
डूंगरपुर

कलक्टर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner